Enclose in Bid Document

Detailed NIB

Name & Address of the Procuring Entity	➢ Jaipur Development Authourity ➢ Address:DC(VEHICLE) MB-GF, Room 5, Ram Kishore Vyas Bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur –302 004 (Rajasthan)
Subject Matter of Procurement	opreation and Maintenance of JDA Office Parking for 1 Year.
Bid Procedure	Single-stage (Two part) open competitive eBid
Bid Evaluation Criteria (Selection Method)	Highr Cost Based Selection (HCBS)-H1
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➢ Websites: www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jda.urban.rajasthan.gov.in
Website for online Bid application participation and payment *	➢ Website: www.jda.urban.rajasthan.gov.in ➢ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only. o Bidding document fee: Rs.500.00 Rupees (Five hundred only) o RISL Processing Fee: Rs.500.00 (Five hundred only) o Requisite Bid Security Deposit
Estimated Procurement Cost	➢ INR 10,12,000.00 (Rupees Ten lakh Twelve thousand Only)
Bid Security Deposit	➢ Amount (20240/-INR) : *2% of Estimated Procurement Cost, 0.5% (Rs.5000/-) of S.S.I. of Rajasthan. ➢ In case of Departments' of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government shall submit a bid securing declaration in lieu of bid security.
Applying Bid and making Online Payment on JDA portal (www.jda.urban.rajasthan.gov.in)	➢ Start Date: 12-06-2026 form 9.30 AM on wards ➢ End Date: 22-06-2026 to 6.00 PM ➢ In case EMD in form Bank Guarantee is Not Applicable
Bid Submission on e-Procurement Portal of GOR (www.eproc.rajasthan.gov.in)	➢ Start Date: 12-06-2026 form 9.30 AM on wards ➢ End Date: 22-06-2026 at 6.00 PM
Date/ Time/ Place of Technical Bid Opening	➢ Date 25-06-2026 on 3.30 PM. ➢ Jaipur Development Authourity
Date/ Time/ Place of Financial Bid Opening	➢ Will be intimated later to the technically qualified bidders
Bid Validity	➢ 90 days from the bid submission deadline

* Jaipur Development Authority has decided to receive Earnest Money Deposit (EMD) (Bid Security), Tender Fee and RISL processing fee online through JDA Portal. The bid security options available in tender for participants are as mentioned below:

A. Payment Options:

Option-1: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "**Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)**" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from **any Bank any Branch** using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-2: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from **anywhere any time** till the closing date & time of bid participation.

B. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case of BG as the remaining payment will be done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "**Bid Participation Receipt**" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "**Bid Participation Receipt**" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

Note:

1. Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal.
2. In case, any of the bidders fails to pay the Tender Fee, BSD, and RISL Processing Fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, Safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on http://eproc.rajasthan.gov.in (bidders already registered on http://eproc.rajasthan.gov.in before 30-09-2011 must register again).
4. JDA will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-Tendering process.
6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DoIT&C, GoR on a regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot.
   Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in
   Address : e-Procurement Cell, JDA, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur
7. The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
8. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
9. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
10. The provisions of RTPPA Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with the RTPP Act 2012 and Rules thereto, the later shall prevail.

Deputy commissioner (Vehicle)
Jaipur Development Authority

RajKaj Ref No.:
22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–प.2(145)जविप्रा / वाहन / पार्किंग / 2026–27–450005 / डी–   दिनांकः–

जयपुर विकास प्राधिकरण में बहुमंजिले पार्किंग स्थल के प्रबन्धन व संचालन हेतु ठेका वर्ष 2026–27 (एक वर्ष) दर संविदा हेतु बोलीदाता की तकनीकी योग्यताऐं एवं सामान्य शर्ते

I. **तकनीकी योग्यतायें**

क्र.सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1.	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / अर्द्धसरकारी उपक्रम, नगर निगम एवं नगर पालिका, केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व संगठन के अधीन पार्किंग स्थलों के प्रबन्धन का गत 5 वर्षो में कोई से भी गत 2 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	बोली दाता / फर्म संस्था / विभाग / निगम / बोर्ड / कॉरपोरेशन आदि द्वारा जारी किये गये गत 5 वर्षो में से कोई से भी गत दो वर्ष का कार्यादेश की छायाप्रति एवं कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
2.	बोलीदाता / फर्म को किसी बोर्ड, कार्पोरेशन, प्राधिकरण निगम एव राजकीय / केन्द्र उपक्रम / संस्था द्वारा RTPP Act 2012 की धारा–7 के अनुसार गत तीन वर्षो में डिबार / डिफाल्टर / ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए।	राशि रूपयें 50 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प (एक माह से अधिक पुराना नहीं हो) पर डिबार / डिफाल्टर / ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3.	बोलीदाता द्वारा जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।	प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
4.	बोलीदाता / फर्म का आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	बोलीदाता / फर्म के पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5.	बोलीदाता फर्म का पार्किंग व्यवसाय का पिछले दो वित्तीय वर्ष में औसतन टर्नओवर 10 लाख रूपयें वार्षिक होना चाहिए।	फर्म को पिछले दो वित्तीय वर्ष के टर्नओवर का विवरण तथा Audited final Accounts चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
6.	पी.एफ. विभाग में फर्म / संस्थान व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन नम्बर रजिस्ट्रेशन की प्रमाण पत्र की प्रति करे।	प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
7.	ई.एस.आई. विभाग में संस्थान / फर्म / व्यक्तिगत का रजिस्ट्रेशन नम्बर व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे।	प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करे।
8.	बोलीदाता द्वारा 20,240 / – अमानता राशि निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाया जाना आवश्यक हैं।	अमानता राशि ऑनलाईन जेडीए पोर्टल के माध्यम से जमा करानी होगी।

RajKaj Ref No.:
22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

B. बोलीदाता को निर्देश :–

1. बोलियॉ ऑनलाईन **Single Stage** (Two Part) से प्राप्त की जावेगी। जिसमें तकनीकी बिड और वित्तीय बिड अलग–अलग प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को ऑनलाईन तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियॉ अस्वीकार्य होगी।
5. बोलीदाता को इस बोली आमन्त्रण सूचना प्रपत्र के साथ Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 एवं RTPP Rule, 2013 प्रावधानों के तहत् संलग्न Annexure A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगें। एक्ट की धारा–38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या–1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. सफल बोलीदाता को कार्य आदेश जारी होने के 7 दिवस के अन्दर वार्षिक राजस्व की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि प्राधिकरण में जमा करानी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के तीन माह पश्चात् कोई बकाया नही होने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा। साथ ही राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 के नियम 2013 नियम 75 (1) (2) एवं (3) के क, ख, ग, घ, ड लागू होगा।
7. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे RTPP Rules के नियमानुसार अधिकतम 3 माह के लियें बढ़ाया जा सकेगा।
8. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं जविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
9. सभी प्रकार के कानूनी वाद के लिए न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
10. अनुबन्ध अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

C. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्ते :–

1. बोलीदाता को वित्तीय प्रपत्र में दर देना आवश्यक है।
2. बोली खुलने के पश्चात् बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् आपूर्ति समय पर नही करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा, तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
3. सभी शर्तो की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त या शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

पार्किग स्थल का विवरण, पार्किंग दरें एवं अन्य शर्ते:–

1. बोली अधीन पार्किग स्थल प्राधिकरण के परिसर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार :–

क्र.सं.	फ्लोर	कुल एरिया
1.	बेसमेन्ट–प्रथम तल	38,858.00 वर्ग फीट
2.	बेसेमेन्ट–द्वितीय तल	38,858.00 वर्ग फीट
3.	ग्राउण्ड फ्लोर	38,858.00 वर्ग फीट
4.	प्रथम तल	38,858.00 वर्ग फीट
5.	द्वितीय तल	18,938.00 वर्ग फीट
6.	तृतीय तल	18,938.00 वर्ग फीट
7.	चतुर्थ तल	18,938.00 वर्ग फीट
8.	छत (टेरेस)	38,858.00 वर्ग फीट

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

उक्त फ्लोर्स में वाहन की पार्किंग की निम्नानुसार व्यवस्था रहेगीः–

(अ) दो पहिया वाहन :–(पीछे के भाग में।)

1. आम जनता हेतुः–
   I द्वितीय तल
   II तृतीय तल
2. जविप्रा कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु
   I बेसमेंट–I
   II बेसमेंट–II
   III ग्राउण्ड फ्लोर

(ब) चौपहिया वाहनः–(आगे के भाग में)

1. जविप्रा कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतुः–
   I बेसमेंट–I
   II बेसमेंट–II
   III ग्राउण्ड फ्लोर
   IV फस्ट फ्लोर

(स) चौपहिया वाहनः–(पीछे के भाग में)

1. जविप्रा कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतुः–
   I प्रथम तल
2. **आम जनता हेतु :–**
   I चतुर्थ तल
   II छत (टेरेस) पर

निर्धारित पार्किंग शुल्कः–

3. बोलीदाता को प्राधिकरण में मीटिंग आदि में भाग लेने के लिए अन्य राजकीय कार्यालयों आने वाले अधिकारियों के वाहनों के लिए भी निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार केवल गैर–सदस्य श्रेणी के वाहनों से ही पार्किंग शुल्क निर्धारित दर से वसूल करेगा और राजकीय तथा सदस्य श्रेणी के वाहनों को पार्किंग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। बोली में दरें भरते समय बोलीदाता को इस तथ्य का ध्यान रखना है।
4. गैर सदस्य श्रेणी के वाहन वे है, जिनके पास प्राधिकरण से जारी किया गया स्थायी अथवा सर्वाधिक पार्किंग टोकन नहीं है।
5. गैर सदस्य श्रेणी के वाहनों के लिये अधिकतम पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र. सं.	अवधि	चार पहिया वाहन (Cars, Jeep etc.)	दो पहिया वाहन (Scooter, Motor Cycle etc.)	साइकिल
1.	प्रथम 4 घंटे अथवा उसके अंश के लिये	25.00 रूपये	10.00 रूपये	1.00 रूपये
2.	4 घंटे से अधिक किन्तु सायं 7.00 बजे तक के लिये।	60.00 रूपये	20.00 रूपये	2.00 रूपये

6. विकलांग–व्यक्ति/निशक्तःजनों के वाहनों (यथा–ट्राईसाइकिल आदि) के लिये पार्किंग स्थल पर सामान्य संचालन समय के दौरान निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध रहेगी।
7. कभी–कभी विशेष अवसरों पर सम्पूर्ण पार्किंग स्थल को विशेष प्रयोजनार्थ प्राधिकरण प्रशासन द्वारा पूर्णतः निःशुल्क पार्किंग हेतु आरक्षित किया जा सकता है, किन्तु ऐसा आरक्षण अनुबन्ध अवधि में एक वर्ष की अवधि में बीस कार्य दिवसों से अधिक का नहीं होगा।
8. बोली अधीन पार्किंग स्थल का संचालन समय (operational timing) प्रातः 9.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक रहेगा, अर्थात प्रातः 9.00 बजे से पूर्व और सायं 7.00 बजे के बाद पार्किंग स्थल

पर कोई वाहन जमा नहीं किया जावेगा। जिस दिन प्राधिकरण में शिविर आयोजित किये जायेंगे उस दिन पार्किंग का समय शिविर समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक रहेगा।

9. यदि उपरोक्त शर्त संख्या 8 के बावजूद कोई वाहन मालिक/चालक यदि सायं 7.00 बजे पूर्व अपना वाहन पार्किग स्थल से नहीं निकाल पाता है तो वह सायं 7.00 बजे बाद भी अपना वाहन ले जा सकेगा, किन्तु उससे शर्त संख्या 5 की तालिका में वर्णितानुसार अधिकतम शुल्क वसूल किया जायेगा, चाहे उसका वाहन चार घण्टे से भी कम समय के लिये पार्क रहा हो।
10. सार्वजनिक/राजकीय अवकाशों को भी पार्किग स्थल उपरोक्त समयानुसार संचालित रहेगा।
11. पार्किंग संचालन एवं प्रबन्धन में अनुबन्धकर्ता ठेकेदार को पेड पार्किंग हेतु आवंटित प्रत्येक फ्लोर के पार्किंग क्षेत्र में ठेकेदार के दो वर्दीधारी गार्ड (श्रमिक)/कर्मचारी होंगे एवं गार्डो की सूची मोबाईल नम्बर सहित प्रस्तुत करनी होगी।
12. दैनिक आधार पर आने वाले आगन्तुको के गैर सदस्य वाहनों को पार्किग स्थल पर ठेकेदार द्वारा मुद्रित टोकन दिया जायेगा। टोकन के दो भाग होंगे। एक भाग वाहन स्वामी/चालक को दिया जायेगा और दूसरा भाग टोकन बुक में यथावत संलग्न रहेगा। टोकन पर वाहन संख्या और समय लिखकर देना होगा।
13. टोकन के दोनो भागों पर पार्किग शुल्क की सभी प्रकार की दरें मुद्रित होंगी ताकि वाहन स्वामी दरों के बाबत पूर्णत सूचित रहे।
14. टोकन बुक ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे से मुद्रित करानी होगी तथा इस हेतु प्रारूप का अनुमोदन अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा से कराना होगा।
15. किसी भी टोकन बुक को प्रयोग में लेने से पूर्व उसे उपायुक्त (वाहन)/वाहन प्रभारी से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा।
16. पार्किग स्थल पर खड़े सभी वाहनों की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पार्किग स्टेण्ड पर रखा गया वाहन खो जाने पर ठेकेदार को वाहन की उचित कीमत वाहन स्वामी को चुकानी होगी और सभी प्रकार की वैधानिक देनदारियां स्वयं ठेकेदार को ही वहन करनी होगी। इस बाबत् जविप्रा का कोई दायित्व नहीं होगा।
17. यद्यपि राजकीय वाहनों, सदस्य वाहनों एवं विकलांग/निःशक्तजन वाहनों के लिये पार्किग शुल्क नहीं वसूला जावेगा, तथापि इन श्रेणिये के वाहनों की सुरक्षा का दायित्व भी ठेकेदार का ही होगा।
18. प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण के वाहनों के प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे जिनके प्रवेश पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया स्थायी अथवा सावधिक प्रवेश पत्र/पार्किग टोकन है। इस श्रेणी के वाहनों को पार्किग सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
19. ठेकेदार को चार पहिये वाहन, दो पहिया वाहनों में हवा, पंचर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवानी होगी। इसके लिये प्राधिकरण प्रशासन से दरों का अनुमोदन कराना होगा एवं अनुमोदित दरों को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा पानी-बिजली की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावेगी। साईकिलो में हवा निःशुल्क भरवाई जावेगी।
20. वाहन स्वामी/चालक द्वारा टोकन खो जाने पर ठेकेदार द्वारा वाहन तब तक नहीं लौटाया जायेगा जब तक कि वाहन स्वामी द्वारा वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिये जावे।
21. यद्यपि दैनिक आगन्तुको के आने वाले विभिन्न श्रेणी के गैर सदस्य वाहनों के लिये निर्धारित पार्किग शुल्क की दरें ठेकेदार द्वारा जारी किये जाने वाले टोकन के दोनो भागो पर मुद्रित होगी तथापि इसके अतिरिक्त भी पार्किग स्थल पर उपयुक्त स्थान पर पार्किग शुल्क की स्वीकृत दरें सूचना बोर्ड पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगाकर दर्शायी जानी होंगी।
22. पार्किग स्थल के लिये अनुमत वाहनों की श्रेणी से भिन्न श्रेणी के किसी वाहन को पार्किग स्थल पर पार्क नहीं किया जावेगा अन्य प्रकार का वाहन मिला तो ठेकेदार के विरूद्ध 300/- रूपये प्रतिदिन प्रति वाहन जुर्माना राशि के रूप में वसूल किया जावेगा।
23. बोली अधीन पार्किग स्थल पर ठेका एक साल (12 महीने) का होगा जो कि उस तारीख से प्रभावी होगा, जो इस हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध में वर्णित की जावेगी।
24. सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली एवं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व की राशि को अनुबन्धकर्ता को अनुपातिक रूप से (1/12) को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्राधिकरण में जमा करानी होगी। राजस्व राशि 7 तारीख तक जमा नहीं कराये जाने पर 18 प्रतिशत की दर से

ब्याज देय होगा। यदि बोलीदाता द्वारा 2 माह तक राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उसका ठेका निरस्त कर बोली की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

25. ठेका अनुबन्ध ठेका स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस में राजस्थान स्टाम्प एक्ट के अनुसार निर्धारित राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रारूप का अनुमोदन अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा से कराना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने के अभाव में ठेका निरस्त कर किया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा करायी गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।
26. ठेका अनुबन्ध केवल एक साल के लिये वैध होगा और अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार अधिकतम 3 माह तक और बढ़ाई जा सकेगी।
27. ठेका अवधि समाप्त होने पर अन्तिम दिनांक की मध्यरात्रि को पार्किंग स्थल पर ठेकेदार का कब्जा स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
28. अधिकृत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि/कार्मिक के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पार्किंग स्थल पर कोई भी वसूली नहीं कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों/कार्मिकों की सूची पूर्ण पतों सहित अनुबन्ध हस्ताक्षर होने के समय तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
29. ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर जिन कार्मिकों को तैनात किया जावेगा, उन्हें अपने नाम की पट्टिका सहित नीले रंग की वर्दी (पेंट शर्ट) पहननी होगी। ऐसा नहीं किया जाना ठेका अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा एवं दण्ड स्वरूप राशि रूपये 500/– का जुर्माना ठेकेदार पर किया जा सकेगा। निर्धारित वर्दी एवं बैच ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे।
30. इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु यदि ठेकेदार द्वारा कुछ कुशल या अकुशल श्रमिकों को नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजित श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत करना होगा और यदि इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई तो ठेका निरस्त कर दिया जा जावेगा और प्रभावी विधि/नियमों के तहत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
31. प्रत्येक श्रमिक के लिये (ठेकेदार के प्रतिनिधि सहित) प्राधिकरण का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक होगा। संदेह की स्थिति में सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यो में लगे श्रमिकों की तलाशी लेने का अधिकार जविप्रा को होगा।
32. बिना वर्दी बैच एवं प्रवेश पत्र के किसी श्रमिक को प्राधिकरण परिसर में प्रवेश नही दिया जावेगा।
33. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
34. ठेकेदार के लिये यह बाध्यता होगी कि आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
35. ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा यदि पार्किंग स्थल सम्पति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
36. ठेकेदार द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों के संबंध में विभिन्न श्रम विधानों के प्रावधानों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
37. ठेकेदार को श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं अन्य श्रम संबंधी कानूनो की पूर्ण पालना करनी होगी। सम्बन्धित कानून की जानकारी नहीं होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जावेगा।
38. कार्य के दौरान किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। कार्यो पर लगे श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप मे दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिए जविप्रा किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
39. प्रभावी श्रम कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) में राशि जमा करवाने एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जावेगा।
40. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रावधायी निधि (EPF) व बीमा (ESI) एवं किसी भी कर आदि में इस अनुबन्ध की अवधि में दरों में कोई वृद्धि की जाती है तो ठेकेदार को इसका भी भुगतान वहन करना होगा और जविप्रा का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

41. श्रम संबंधित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने एवं कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर 7 दिन का नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकता है।
42. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार का होगा तथा ऐसे सभी श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखित में सूचित किया जायेगा कि वे ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक है, तथा प्राधिकरण प्रशासन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है।
43. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान की पालना हेतु ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार या जविप्रा को कोई राशि व्यय करनी पड़ी तो वह ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूली योग्य होगी।
44. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार जविप्रा का होगा।
45. इस बोली के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई न्यायालयी विवाद किसी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न हो कर चल रहा हो अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना उक्त ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
46. इस बोली के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्ते की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर आयुक्त जविप्रा का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार को मान्य होगा।
47. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
48. ठेकेदार ठेके को अन्य किसी को सबलेट नहीं कर सकेगा। सबलेट करने पर ठेका निरस्त समझा जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रतिभूति राशि जविप्रा द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
49. यदि प्राधिकरण को अथवा बोली अधीन पार्किंग स्थल को ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है या दायित्व उत्पन्न होता है तो ठेकेदार इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
50. यदि ठेकेदार की गलती/असफलता/चूक के कारण प्राधिकरण को बोली अधीन पार्किंग स्थल का प्रबन्धन वैकल्पिक व्यवस्था से करना पड़ा तो वैकल्पिक व्यवस्था का खर्चा ठेकेदार की Risk - cost पर होगा तथा उससे वसूल किया जावेगा।
51. बोली अधीन पार्किंग स्थल को पूर्णतः अथवा उसके किसी अंश को प्राधिकरण को जनहित में आवश्यक होने पर अपने कब्जे में लेने का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
52. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रथम गलती पर रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) व समान प्रकृति की गलती का दोहराव होने पर 1000/– रूपये (एक हजार रूपये मात्र) दण्ड/जुर्माना ठेकेदार पर किया जा सकेगा। तीसरी या इससे अधिक बार समान गलती करने पर ठेका भी निरस्त किया जा सकेगा।
53. प्राधिकरण की पार्किंग में खडे होने वाले प्रवेश पत्रधारी वाहन तथा टोकनधारी वाहनों की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि कोई वाहन पार्किंग से चोरी होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
54. उपरोक्त शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।
55. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी आयुक्त जविप्रा के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपयें 2500/– है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी कार्यकारी समिति जविप्रा के सक्षम अपील करने हेतु फीस रूपयें 10000/– निर्धारित है। उक्त फीस अप्रतिदेय (Non refundable) होगी।
56. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रभावशील है। अतः उक्त बोली पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

57. ठेकेदार के श्रमिक जविप्रा परिसर व पार्किंग परिसर में धुम्रपान/शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगें एवं पार्किंग परिसर को साफ रखेगा।
58. कोरोना महामारी व अन्य महामारी की स्थिति में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लॉक डॉउन लगाया जाता है तो पार्किंग किराया राशि में कोई छूट नहीं दी जावेगी।
59. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है, और न भविष्य में रखी जावेगी।
60. यह कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने पर बोली अधीन कार्य कराने के लिये मेरे द्वारा नियोजित किये जाने वाले श्रमिक/कर्मकार किसी भी प्रकार से राज्य सरकार/जविप्रा के लिये देयता नहीं होंगे।
61. यह कि इस बोली की समस्त शर्ते मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है। मै/हम उन शर्तो की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/है।
62. यह कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा जितनी संख्या में श्रमिकों के लिये लाइसेंस आवश्यक होगा उतनी संख्या में श्रमिकों का सामूहिक बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जावेगा।
63. निविदा/बोली की वैधता अवधि 90 दिन की होगी।
64. राशि रूपये 10,12,000/— (अक्षरे दस लाख बारह हजार रूपये) प्रतिवर्ष से कम की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी, अर्थात न्यूनतम बोली 10,12,000/— की होगी।
65. पार्किंग ठेकेदार को दो पहिये/चार पहिये वाहनों हेतु निर्धारित पार्किंग शुल्क को प्रदर्शित करना होगा। इस हेतु बोर्ड अथवा फ्लेक्स लगाना होगा।
66. निविदा में सफल बिडर द्वारा अनुबन्ध होने से पूर्व श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेन्स प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा एवं जितनी संख्या में श्रमिकों के लिये लाइसेंस होगा उतनी संख्या में श्रमिकों का सामुहिक बीमा कराया जाकर बीमा पोलिसी प्रस्तुत करनी होगी। वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प. 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 09.07.2023 की पालना में बाल श्रमिक नियोजित नहीं किये जायेगे।'

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पता..

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

वित्तीय बोली प्रपत्र (Financial Bid From)

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में बहुमंजिले पार्किंग स्थल के प्रबन्धन व संचालन हेतु ठेके के लिये

1.	बोली सचूना संदर्भ	प.2(145)जविप्रा/वाहन/2026–27/डी–.......... दिनांक........	
2.	कार्य का विवरण	प्राधिकरण में बहुमंजिले पार्किंग स्थल के प्रबन्धन व संचालन कार्य	
3.	बोलीदाता व्यक्ति/फर्म का नाम		
4.	बोलीदाता व्यक्ति/फर्म का पूरा पता	पता	
		टेलीफोन नं.	
		मोबाईल नं.	
5	वित्तीय बोली की वार्षिक राशि नोटः–नियमानुसार जी.एस.टी की राशि ठेकेदार द्वारा ठेका राशि के अतिरिक्त अलग से देनी होगी।	रूपये... /– शब्दो में रूपये...) प्रति वर्ष	
6	बोली अधीन वर्णित प्रकृति के ठेके के कार्य पर अगर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के कर आदि वर्तमान में लागू है अथवा भविष्य में लागू होते है तो उन्हें ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। बिन्दु संख्या 5 पर वर्णित राशि शुद्ध राशि हैं जो कि ठेकेदार द्वारा सचिव, जविप्रा के खाते में प्रतिमाह (अनुपातिक रूप से) जमा करानी है।		
अधिकृत ठेकेदार/व्यक्ति/फर्म तथा फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम, पता मय सील			
दिनांक			

RajKaj Ref No.:
22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other b0enefit or avoid an obligation;
(c) Not ind2ulge in any collusion, bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest -

The Bidder participating in a bidding process must no have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or
(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated......................... I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

RajKaj Ref No.:
22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

Annexure C Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner, JDA
The designation and address of the Second Appellate Authority is EC JDA

(1) Filing an appeal: -

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which, he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases: -

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely: -

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals: -

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

Signature of bidder (in case of appeal)

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

(6) Fee for filing Appeal: -

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal: -

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature of bidder (in case of appeal)

RajKaj Ref No.:
22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

FORM No. 1
[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012

Appeal No……………………………........................………. of …………..………………………. Before the……………...……...………. (First/Second Appellate authority)

1- Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:

2- Name and address of the respondent(s):
(i)
(ii)
(iii)

3- Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6- Grounds of appeal: ....
(Supported by an affidavit)

7- Prayer: ....

Place: ....

Date: ....

Appellant's Signature

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

(ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

(iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the biding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provide in the conditions of contract.

(iii) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. It the supplier fails to do so; the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods): -

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

RajKaj Ref No.: 22767999

Signed by: KAMAL KANT VERMA, Deputy Commissioner
Date: 2026-06-10 17:59:37 +05:30

v-1.0